विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 854 दिनांक : 28/7/17

प्रति,

प्राचार्य,
एडवासं कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स
माधव क्लब रोड़,तीन बत्ती चौराहरा, फ्रीगंज,उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/110,दिनांक 03.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें "निर्णय लिया गया कि,एडवासं कॉलेज ऑफ,साइंस एण्ड कामर्स,उज्जैन में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों की निरन्तरता नहीं दी जाती है तथा सत्र 2017–18,से बी.कॉम.(आनर्स)–तृतीय वर्ष,पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.कॉम. (आनर्स)–तृतीय वर्ष,पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की सशर्त प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.(आनर्स)–तृतीय वर्ष	90

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. बी.कॉम. (आनर्स)–तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर) के विषय से संबंधित 400 पुस्तकें पुस्तकालय में मंगायी जाए।

उपरोक्त कमियों की पर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

(13)

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 855 //2//

दिनांक : 28/7/17

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,शासकीय कालीदास कन्या स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 114 दिनांक :- 3/6/17

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- एडवांस कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, उज्जैन।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.कॉम.(कम्प्यूटर) तृतीय वर्ष

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01.	प्रो.डी.एम.कुमावत -	विभागाध्यक्ष,पर्यावरण प्रबंध अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02.	प्रो.आर.के.ढण्ड -	संकायाध्यक्ष,विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03.	डॉ. एस.के.मिश्रा -	उपाचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ पालक संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति बाबत प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सीडी दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

0 I C

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 115 //2//

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3/6/

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी.दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।

02. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय की ओर लेकर आग्रह है कि,संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। यदि निरीक्षण नहीं कराते है तो,सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

03. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अतिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग,के निर्देशानुसार उक्त जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।

04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, [illegible] विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (अकादमिक)